Title: Requested for protection of wildlife as well as the Bishnoi community with reference to the death of a youngman of the Bishnoi community in Jaipur in the hands of the poachers.

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारतीय वन्य प्राणी अधिनियम, 1972 की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। महोदय, 12 अगस्त को मेरे संसदीय क्षेत्र जोधपुर. जो बिश्नोई बहुल क्षेत्र है, जहां वन्य प्राणी स्वच्छंद रूप से घूमते हैं। बिश्नोई बहुल क्षेत्र में बिश्नोई समाज ने वन्य प्राणियों की हमेशा रक्षा की है। 12 अगस्त की दोपहर करीब चार बजे एक शिकारी हिरण का शिकार करने के लिए आया। बिश्नोई जाति के युवक श्री गंगा राम बिश्नोई ने उसका विरोध किया जिसके कारण उसी समय शिकारी ने उसे गोली मार दी और वह युवक वहीं शहीद हो गया। महोदय, पिछले दो वर्षों में इस प्रकार की यह तीसरी घटना है। इस तरीके से बिश्नोई जाति के लोग हिरणों के लिए शहीद हो रहे हैं। इस बारे में हम राजस्थान सरकार से बार-बार मांग कर रहे हैं। लेकिन वहां मुल्जिमों के समय पर चालान पेश नहीं हो रहे हैं जिसके कारण बिना चालान के मुल्जिम छूट रहे हैं। वन्य प्राणी अधिनियम, 1972 का राजस्थान सरकार को पालन करना चाहिए। लेकिन सरकार उसका पालन नहीं कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जहां सैंक्युअरीज हैं, उन स्थानों को छोड़कर हम यदि वन्य प्राणियों को देख सकते हैं तो सिर्फ बिश्नोई बहुल क्षेत्र में देख सकते हैं।

उपध्यक्ष महोदय, बिश्नोई समाज, अपने प्राणों की आहुति देकर, अपना बलिदान देकर, वन्य प्राणियों की रक्षा करता रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से कानूनों की कठोर रूप से पालना न कराने के कारण वन्य प्राणियों की रक्षा नहीं हो पा रही है तथा जो बिश्नोई समाज उनकी रक्षा में अपने प्राणों की बाजी लगा रहा है, उनकी रक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है। जो लोग उनको मार रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है और नियमों एवं अधिनियमों में प्रावधान होने के बावजूद राजस्थान सरकार शिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग है कि वह राजस्थान सरकार को कानूनों का पालन कराने, वन्य प्राणियों की रक्षा करने एवं उनकी रक्षा में संलग्न बिश्नोई समाज की रक्षा के निर्देश प्रदान करे।